

लीला देवी
जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल।
जिला पंचायत-जयहरी
वि० ख० जयहरीखाल (पौड़ी)

समाज कल्याण अधिकारी
पौडी गढवाल

2
16.2.15
(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

प्रारूप 30.1OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Chandra Shekhar Bhatt** I.A.S deputy commissioner, **Garhwal** on dated--16.2.15 at **Pauri** in which application claiming rights in **Reserve Forest** area measuring **1.800** hect for the construction of **Maindoli-Parinda- Bountha Motor Road up to Dariyakhal** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Pauri.....

Dated:..16.2.15.....

2
16.2.15

(Chandra Shekhar Bhatt)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

दिनांक 16.2.15 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :-

1. सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल अध्यक्ष।
2. श्री नितीश मणि त्रिपाठी प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार सदस्य।
3. श्री रतन सिंह रावल, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य।
4. श्रीमती लीलादेवी जिला पंचायत सदस्य जयहरी विश्व जैहरीवाल सदस्य।

बताया गया कि (1) मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक (2) पालकोट-बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं।

मार्गों का विवरण निम्नवत है :-

1. **मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक :-** इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से आरम्भ होकर लैन्सडौन-डेरियाखाल-रिखणीखाल मोटर मार्ग के किमी० 7.00 एच०पी०बैण्ड पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 है, परन्तु मोटर मार्ग केवल 3.00 किमी० लम्बाई में ही मुख्य सड़क से जुड़ रहा है। इस मार्ग के 1.00 किमी० लम्बाई में ग्राम बौठा की नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) तत्पश्चात् 2.00 किमी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति, अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम बौठा की जनसंख्या 215 सहित अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।

(2) **पालकोट-बरस्वार मोटर मार्ग :-** इस मोटर मार्ग का निर्माण फतेहपुर-लैन्सडौन मोटर मार्ग के किमी० 16 स्थान पालकोट से आरम्भ होकर ग्राम बरस्वार की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी० है। इस मोटर मार्ग से ग्राम गोयूँ पालकोट एवं ग्राम बरस्वार की सिविल भूमि 0.870 किमी० में, 0.470 किमी० में आरक्षित वन भूमि तथा 2.660 किमी० में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग में सिविल भूमि का क्षेत्रफल 0.783 हे०, आरक्षित वन भूमि का 0.423 हे० कुल 1.206 हे०

2

हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर जनजाति, अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है। उक्त मार्ग निर्माण से ग्राम पालकोट, गोयूं एवं बरस्वार एवं जडियाना, ग्वारीगांव की कुल जनसंख्या 922 लाभान्वित होगी। इन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक आरक्षित वन भूमि 1.800 हे० (2) पालकोट-बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि एवं वन पंचायती भूमि क्रमशः 0.423 हे०, एवं 0.483 हे० लो० नि० को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

2
16.2.15
(चन्द्रशेखर भट्ट) आई० ए० एस०
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०, लैन्सडौन

पत्रांक 263 / 21 सी०

दिनांक 21-2-2015

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रारूप-30

FORM-1

(for liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No... 2797/26-सूचक अधिनियम (सांख्यिकी)/14-15

Dated 29/04/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.800 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public work Department for Maindoli-Parinda-Bauntha Motor Road up to Deriyakhal in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Bauntha village(s) in Lansdowne Tehsil.**

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.800 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to..... annexure ----
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal.

प्रारूप-30

FORM-1

(for liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Garhwal

No... 278/प्रशा.आ.दे. (सा.प्र.आ.) 2014-15

Dated 09-01-15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.800 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Public work Department for **Maindoli-Parinda-Bauntha Motor Road up to Deriyakhal** in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Bauntha** village(s) in **Lansdowne** Tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.800 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to..... annexure -----
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal.

गढ़वाल(पौड़ी)

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.800हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी लैन्सडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति लैन्सडौन

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु (1.800हे० आरक्षित वन भूमि.....हे०सिविल एवं सोयम वन भूमिहे०वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.800हे०आरक्षित वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक ०7.०1.२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. सैधन सिंह शैनी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री श्री. सैधन सिंह शैनी उपजिलाधिकारी लैन्सडौन अध्यक्ष
2. श्री रम. कं. बहुलवासी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री राजकुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी लैन्सडौन सदस्य / सचिव
4. श्री सरोजनी रावत बी०डी०सी० क्षेत्र मैन्सडौन सदस्य (ग्राम विकास अधिकारी)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
13/01/2015-13/01/2015-13/01/2015-13/01/2015 (Page-58)
13/01/2015-13/01/2015-13/01/2015-13/01/2015

सरोजनी रावत
क्षेत्र पं० सदस्य
कोटाकाल-10

पेज-2

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन विभाग
लैन्सडौन


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक हेतु 1.800हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लैन्सडौन
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

✓ प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील लैन्सडौन
जनपद पौड़ी गढ़वाल।